अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भीयाराम चौधरी 01	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
सुजा बनाम सुरज्ञान वगैरह (2025/72) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3 (अ) सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया, प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3 (अ) सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 26.12.2025 को पेश हो।	
26.12.2025 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 28.11.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम , प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 3 (अ) सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोडेन्ट (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने प्रार्थना पत्र बावत प्राथमिक आपत्ति एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, तरमीम दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी की इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 697 के आराजी खसरा नम्बर 1612 रकबा 0.82 है0 तथा खाता संख्या 807 के आराजी खसरा संख्या 1613 रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम ममाणा तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसका कब्जा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बताया जाकर मौके पर गलत तरमीम का हवाला दिया जाकर अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मौके से बेदखल करने की धमकी देने के कथन अंकित किये इसलिए उक्त राजस्व वाद के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सुजा v/s सुल्तान

2025/72/225

लगातार...

साथ रेसपोडेन्ट/वादीया ने एक प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधज्ञा का विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत किया जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने आदेश दिनांक 23.04.2024 को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये और उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कि जो मियाद बाहर पेश की है इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश एक अंतरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

यह कि अपीलांट विचारणीय न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र व राजस्व वाद व दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित हो गया और उक्त राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं कर माननीय न्यायालय के समक्ष करीबन एक वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की जा रही है जो माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील एक अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील मेंटेनेबल नहीं होने के आधार पर सव्यय एवं भारी कोस्ट के आधार पर खारिज फरमायी जावें।

अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मेंटेनेबल नहीं होने के आधार पर सव्यय व भारी कोस्ट के आधार पर खारिज फरमायी जावें इसलिए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 23.04.2024 के विरूद्ध अपील एक अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से मेंटेनेबल नहीं है इसलिए भारी से भारी कोस्ट के साथ सव्यय खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति बाबत निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के कथन किये है जिसमें खाता संख्या 697 के खसरा नम्बर 1612 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी की आराजी है तथा खाता संख्या 807 के आराजी खसरा नम्बर 1613 की खातेदारी अपीलांट की है जो ग्राम ममाणा में स्थित होना स्वीकार है। तथा वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये थे जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि अप्रार्थी की उपस्थिति होने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्य रूप से बहस करने पर उपस्थित होना होगा अन्यथा स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 10.06.2024 को ही उपस्थिति प्रदान कर दी गई और दिनांक 24.06.2024 को जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया और बहस भी कर दी गई बहस का अंकन नहीं कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निर्णित करने की बजाय तारीख तब्दील में पत्रावली नियत की जा रही है। जबकि अपीलांट विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए अंत में मजबूरी वश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा पर पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पोषणीय है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 24.06.2024 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया और बहस करने के बावजूद आदेशिका में बहस दर्ज नहीं की गई और दिनांक 26.06.2024 की आदेशिका में दर्ज कर दिया गया। तथा दिनांक 01.07.2024 को पेश हो उसके बावजूद कोई आदेश नहीं करने के कारण मजबूरीवश अपील प्रस्तुत की गई और उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य है। अतः उपरोक्त जवाब

लगातार...

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

5/72/2024 रुक्मा v/s सुरज्ञान

अनुसार रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अपील तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में पारित किया है जो कि अंतरिम आदेश है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में हमने 2021 **आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।** उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र बावत प्राथमिक आपत्ति एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 (अ) धारा 151 सीपीसी बबत निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को निर्णित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधित प्रावधानों के अनुसार यदि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुआ हे तो रस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति के अनुसार सबसे पहले धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिए क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3(अ) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधित प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले निर्णय किया जाना चाहिए।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवेदन किया कि आदेश 41 नियम 3 जा0दी0 के प्रावधान मूल डिक्री की अपीलों पर लागू होते है जबकि माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की अपील है साथ ही 41 नियम 3 (अ) के प्रार्थना पत्र को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया जबकि माननीय न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के साथ जवाब मियाद अधिनियम प्रस्तुत हो चुका है केवल तारीख लेने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

अतः उपरोक्त जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 (अ) धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को विधिवत रूप से सुना जाकर निस्तारित किया जा चुका है अतः प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 (अ) धारा 151 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायलय के आदेश की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2025/72/205 सुजा v/s सुरजान वगैरह

रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथावाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे एकपक्षीय सुना जाकर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी की ओर जवाब पेश किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है चूंकि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर स्थानान्तरित को किया जा चुका है अतःप्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner